12/12/25 आज पत्रावली पेश हुई। पक्षकार
वादी उपस्थित। तहसीलदार मुण्डावर से
रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल पत्रावली।
पक्षकार वादी ने कहा सुनी गई। वादी
को वाद डिक्री किया जाता है। प्रकरण
परवाना आदेश के मुताबिक जारी कर शामिल
मिसल हो। बाद तामील पत्रावली दाखिल
निगरानी दफ्तर हो। नकल मुताबिक नियम हो,
प्रकरण समाप्त।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
189 / 2023	29.08.2023	12.02.2025

बउनवान

1. बुधराम पुत्र श्री रामकंवार जाति अहीर निवासी रडवा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय (लैण्ड होल्डर) तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादी

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री सुरेश यादव :— वादी अधिवक्ता

वादी के वाद का सार निम्न प्रकार से है कि :—

1. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 1238 रकबा 0.59 हैक्०, वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिस आराजी का 1/6 भाग जो मिन वादी की खातेदारी का है, जो वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, मिन वादी ग्रामीण परिवेश का रहने वाला है तथा मिन वादी का असल नाम बुधराम पुत्र श्री रामकंवार है लेकिन ग्राम में वीरू के नाम से पुकारते थे जिस कारण से हाल राजस्व रिकोर्ड के एक खसरा नम्बर में वीरसिंह दर्ज हो गया जबकि बुधराम उर्फ वीरसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है। लेकिन आराजी ख0 नं0 हाल 1238 रकबा 0.59 हैक्०, वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर में मिन वादी का नाम सैटलमेन्ट बेटे दौरान वीरसिंह पुत्र रामकंवार दर्ज कर दिया जबकि मिन वादी का असल रिकार्ड में नाम बुधराम पुत्र श्री रामकंवार है, सहवन से राजस्व रिकोर्ड में वीरसिंह पुत्र रामकंवार दर्ज कर दिया जिसको मिन वादी दुरुस्त कराकर बुधराम पुत्र श्री रामकंवार दर्ज कराने का अधिकारी है, जिस हेतू दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती पेश करना लाजिम आया है।

सु०
सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

3. यह है कि मिन वादी का आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, सरपंच द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र, फोज के रिटायर्ड कागजात में व अन्य राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सं0 2073–2076 में ख0 नं0 1386 / 296 / 0.42 हैक्0, 1387 / 296 / 0.02 हैक्0, वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर में अन्य दस्तावेजात में नाम बुधराम पुत्र श्री रामकंवार दर्ज है, इसलिये मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है, जिस हेतू उक्त विवादित आराजी में नाम बुधराम पुत्र श्री रामकंवार किया जाना आवश्यक और न्यायसंगत है, क्योंकि राजस्व रिकोर्ड में नाम वीरसिंह पुत्र रामकंवार के दर्ज रहने से मिन वादी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है, और नापूर्ती होने वाली क्षति भी मिन वादी को हो रही है जिसकी भरपाई करना नामुमकिन हो रहा है, जिस कारण उक्त इन्द्राज को दुरूस्त कर मिन वादी का नाम बुधराम पुत्र श्री रामकंवार दर्ज कराने का अधिकारी है।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजी को दुरूस्त करने बाबत नाम वादी ने प्रतिवादी को कई बार मौखिक और लिखित निवेदन किया था लेकिन दिनांक 03 / 08 / 2023 को प्रतिवादी ने स्पष्ट मना कर दिया कि अदालत से आदेश लेकर आओ बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

(अ) यह करार दिया जावे कि आराजी ख0 नं0 हाल 1238 रकबा 0.59 हैक्0, वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर के 1 / 6 भाग पर वादी का नाम बुधराम पुत्र श्री रामकंवार दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे हाल राजस्व रिकोर्ड में बुधराम पुत्र श्री रामकंवार खातेदार दर्ज किया जावे। आदेश दिये जावे।

(ब) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे ।

वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण की विधिवित रूप से तामिल करवाई गई। विधिवत रूप से तामिल होने के बाद प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रडवा के खसरा नम्बर 1238 / 0.59 में वीरसिह पुत्र रामकंवार जाति अहीर हिस्सा 1 / 6 रिकोर्ड में दर्ज है। उपस्थित मौतविरानो से पुछताछ करने पर बताया कि वीरसिंह पुत्र रामकंवार जाति अहीर व बुधराम पुत्र रामकंवार दोनो एक ही व्यक्ति है। ग्राम रडवा में वीरसिंह पुत्र रामकंवार नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही बताया।

वादीगन ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श– 1 स्वयं का शपथ पत्र, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 217, प्रदर्श–3 जमाबन्दी खाता संख्या 31, प्रदर्श–4

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

राशन कार्ड प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–5ए आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–6ए डी एल प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–7ए पैन कार्ड प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–8 आधार कार्ड प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–9 सरपंच प्रमाण पत्र पेश की है।

वादी अधिवक्ता ने वादी के वाद के दौरान बहस कथन कहे कि जो निम्न इस प्रकार है कि :–

विवादित आराजी खसरा नम्बर में वादी का नाम वीर सिंह पुत्र रामकंवार दर्ज है क्योकि ग्रामीण भाषा में वादी को बुधराम के स्थान पर वीरसिंह बोला जाता था। परन्तु वादी का नाम वीरसिंह ना होकर बुधराम सही है। वादी के दस्तावेजात में भी बुधराम पुत्र रामकंवार ही दर्ज रिकोर्ड है। पैरोकार सरकार ने भी वीर सिंह व बुधराम को एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। इसलिए विवादित आराजी में दर्ज वादी का नाम वीरसिंह के स्थान पर बुधराम दर्ज किये जाने की कृपा करे।

वादी के वाद पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी में वादी का नाम वीरसिंह पुत्र रामकंवार दर्ज रिकोर्ड है परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में बुधराम पुत्र रामकंवार दर्ज है। वीर सिंह व बुधराम एक व्यक्ति होने की पुष्टि प्रतिवादी (पैराकार) ने की है। इसलिए वादी का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

निर्णय

उक्त विवेचन के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद को स्वीकर किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 हाल 1238 रकबा 0.59 है0, वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर के 1/6 भाग में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी में हो रहे वीरसिह को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर बुधराम पुत्र रामकंवार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
189 / 2023	29.08.2023	12.02.2025

बउनवान

1. बुधराम पुत्र श्री रामकंवार जाति अहीर निवासी रडवा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय (लैण्ड होल्डर) तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादी

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **सुरेशचन्द यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 12.02.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:—**

आराजी ख0 नं0 हाल 1238 रकबा 0.59 हैक्0, वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर के 1/6 भाग में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी में हो रहे वीरसिह को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर बुधराम पुत्र रामकंवार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0